[2018] 12 एस.सी.आर. 1101

सुदर्शन पुहान

बनाम

जयन्त कु. मोहंती और ए.एन.आर. वगैरह।

(2016 की सिविल अपील संख्या 3798-3799)

सितम्बर 20, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और एस. अब्दुल नज़ीर, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – धारा 173 - के तहत अपील - अपीलकर्ता-दावेदार मोटरसाइकिल पर जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे गंभीर चोटें आईं - उसने प्रतिवादियों (मोटरसाइकिल के मालिक और) के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की बीमा कंपनी) - ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को भुगतान के लिए उत्तरदायी मानते हुए दावेदार को कुल 24,62,065/- रुपये का मुआवजा दिया - दावेदार और बीमा कंपनी दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की - उच्च न्यायालय ने दायर की गई अपील को अनुमति दी बीमा कंपनी ने आंशिक रूप से मुआवजे को 24,62,065/- रुपये से घटाकर 20,00,000/- रुपये कर दिया - पीड़ित, केवल दावेदार ने अपील दायर की - आयोजित: धारा के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील। एमवी अधिनियम की धारा 173 अनिवार्य रूप से सीपीसी की धारा 96 की तरह पहली अपील की प्रकृति में है और इसलिए, उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की सराहना करने के बाद तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए समान रूप से कानूनी दायित्व के तहत है - तत्काल मामले में , यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह सीपीसी के Or XX, r4(2) ww OrXLI, v.31 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपील पर निर्णय करे, जिसके लिए आवश्यक है कि निर्णय/आदेश में मामले का संक्षिप्त विवरण शामिल हो, बिंदु निर्धारण, उस पर निर्णय और कारणों के लिए - हालाँकि, उच्च न्यायालय ने न तो पक्षों के मामले के तथ्यों को विस्तार से बताया, न ही उनके द्वारा आग्रह किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण पर विचार किया, न ही दावेदार द्वारा उठाए गए आधारों पर ध्यान दिया और न ही वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर लागू स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में साक्ष्य की सराहना करने का कोई प्रयास किया गया - इस प्रकार, मामले को इस प्रश्न की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया कि क्या कोई मामला आगे की मात्रा में वृद्धि के लिए है ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवजा दिया गया है या नहीं और यदि हां, तो किस आधार पर - इसके अलावा, चूंकि बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं करने का फैसला किया है, इसलिए, अकेले दावेदार को अपनी अपील पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के बाद गुण-दोष के आधार पर - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 96, या XX, r4(2) r/w OrXLI, r.31 /

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

माना: 1. उच्च न्यायालय के आदेश से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने न तो पक्षों के मामले के तथ्यों को विस्तार से बताया, न ही आग्रह किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण पर उनका उल्लेख करने के अलावा निपटाया, न ही उठाए गए आधारों पर ध्यान दिया। दावेदार द्वारा और न ही मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांतों के आलोक में साक्ष्य की सराहना करने का कोई प्रयास किया गया और बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति देने के लिए आगे बढ़े और मुआवजे को 24,62,065 रुपये से रु. 20,00,000/- तक कम कर दिया। [पैरा 34]

2. उच्च न्यायालय ने केवल "पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करते हुए" कहा और "मुझे लगता है कि मुआवजा 20,00,000/- रुपये दिया जाना चाहिए था, न कि 24,62,065/- रुपये"। उच्च न्यायालय द्वारा इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि मुआवजे की राशि 24,62,065/- रुपये से घटाकर 20,00,000/- रुपये क्यों की जानी चाहिए और इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। चूँकि अपीलकर्ता-दावेदार ने भी मुआवज़ा बढ़ाने के लिए अपील दायर की थी, इसलिए दावेदार और बीमा कंपनी के कहने पर पूरा विवाद फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए खुला था। इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए मुआवजे में वृद्धि न करने और/या कटौती करने के कारणों को बताना आवश्यक था। [पैरा 35]

3. बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील करने के लिए कोई विशेष अनुमति दायर करने का विकल्प नहीं चुना। अपील दाखिल न करने का असर यह हुआ कि बीमा कंपनी ने सैद्धांतिक रूप से उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है। [पैरा 36]

4. मामले के इस दृष्टिकोण में, अकेले अपीलकर्ता-दावेदार को इस न्यायालय द्वारा मामले की रिमांड के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर अपनी अपील पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा, जिसमें उच्च न्यायालय इस प्रश्न की जांच करेगा कि क्या कोई मामला ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा में और वृद्धि की गई है या नहीं और यदि हां, तो किस आधार पर। [पैरा 38]

> *बी. वी. नागेश एवं अन्य। वी. एच.वी. श्रीनिवास मूर्ति* **(2010) ए 13 एससीसी 530: [2010] 11 एससीआर 784;** *संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम तिवारी (मृतक) एल.आर.एस. द्वारा।* **(2001) 3 एससीसी 179: [2001] 1 एससीआर 948**; *एच.के.एन. स्वामी बनाम इरशाद बसिथ (2005)* **10 एससीसी 243 - पर भरोसा किया गया।**

मधुकर एवं अन्य। वी. संग्राम और अन्य। **(2001) 4 एससीसी बी 756: [2001] 3 एससीआर 138**; *जगन्नाथ बनाम अरुलप्पा एवं अन्य।* **(2005) 12 एससीसी 303**; *भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य. वी. एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य।* **(2011) 12 एससीसी 174: [2011] 10 एससीआर 436**; *उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम ममता एवं अन्य।* **(2016) 4 एससीसी 172** ; *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरेश कुमार सी एवं अन्य।* **(2000) 10 एससीसी 198**; *पंजाब राज्य और अन्य. नवदीप कौर और अन्य।* **(2004) 13 एससीसी 680 - संदर्भित**।

कुरियन चाको बनाम वर्की ओसेफ **एआईआर 1969 केरल 316 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2001] 1 एससीआर 948	**पैरा 25**	**पर निर्भर था**
[2001] 3 एससीआर 138	**पैरा 26**	**को संदर्भित करता है**
(2005) 10 एससीसी 243	**पैरा 27**	**पर निर्भर था**
(2005) 12 एससीसी 303	**पैरा 28**	**को संदर्भित किया गया**
[2010] 11 एससीआर 784	**पैरा 29**	**पर निर्भर था**
[2011] 10 एससीआर 436	**पैरा 30**	**को संदर्भित करता है**
(2016) 4 एससीसी 172	**पैरा 30**	**को संदर्भित करता है**
(2000) 10 एससीसी 198	**पैरा 31**	**को संदर्भित करता है**
(2004) 13 एससीसी 680	**पैरा 31**	**को संदर्भित करता है**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की सिविल अपील संख्या 3798-3799।

कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 09.11.2015 के निर्णय और आदेश से एम.ए.सी.ए. 2014 की संख्या 690 और 839।

अलख आलोक श्रीवास्तव, केदार नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए.

अंबभोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया
अभय मनोहर सप्रे, जे.

1. ये अपीलें एम.ए.सी.ए. में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 09.11.2015 के खिलाफ अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा दायर की गई हैं। No0.690 0£2014 और M.A.C.A. 2014 की संख्या 839 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा दिए गए मुआवजे को 24,62.065/- रुपये से घटाकर 20,00,000 रुपये कर दिया। /- और परिणामस्वरूप एम.ए.सी.ए. को खारिज कर दिया गया। एम.ए.सी.ए. में पारित मुख्य आदेश के संदर्भ में अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा दायर 2014 की संख्या 690। 2014 की संख्या 839.

2. इन अपीलों में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिए, कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

3. यहां अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल के समक्ष दावेदार था, जबकि वाहन (मोटरसाइकिल) का प्रतिवादी-मालिक गैर-आवेदक नंबर 1 था और अपीलकर्ता की दावा याचिका में बीमा कंपनी गैर-आवेदक नंबर 2 थी।

4. 31.10.2012 को, अपीलकर्ता-दावेदार दीपक कुमार प्रधान के साथ मोटरसाइकिल नंबर OR-07 S 3133 पर उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर बैसिंगा से बारीपदा तक जा रहा था। उपरोक्त मोटरसाइकिल की एक मिनी ट्रक (407) के साथ दुर्घटना हो गई, जिसमें अपीलकर्ता-दावेदार को गंभीर चोटें आईं। मोटरसाइकिल का स्वामित्व जयंत कुमार मोहंती (सीए 3798/2016 में प्रतिवादी नंबर 1 और सीए नंबर 3799/2016 में प्रतिवादी नंबर 2) के पास था और इसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सीए 3798/ में प्रतिवादी नंबर 2) के पास था। 2016 और सीए 3799/2016 में प्रतिवादी नंबर 1)।

5. अपीलकर्ता-दावेदार के अनुसार, दुर्घटना के समय उसकी आयु 25-27 वर्ष थी और उपरोक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसे "पैराप्लेजिया" (रीढ़ की हड्डी में चोट) की बीमारी हो गई।

6. अपीलकर्ता-दावेदार ने, इसलिए, उत्तरदाताओं (मालिक) के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'एमवी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल, मयूरभंज बारीपदा (उड़ीसा) के समक्ष दावा याचिका दायर की। मोटरसाइकिल और बीमा कंपनी) और उसे लगी चोटों के लिए उचित मुआवजे और ऐसी चोटों के कारण एमवी अधिनियम के तहत देय अन्य वैधानिक मुआवजे का दावा किया। उत्तरदाताओं ने दावा याचिका का विरोध किया।

7. दिनांक 17.05.2014 के फैसले से, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं की दावा याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी और उत्तरदाताओं (गैर-आवेदकों) को संयुक्त रूप से अपीलकर्ता-दावेदार को मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया और गंभीर रूप से 24 रुपये की कुल राशि प्रदान की। 62,065/- विभिन्न मदों के तहत 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।

8. अपीलकर्ता-दावेदार और बीमा कंपनी दोनों ने फैसले से व्यथित महसूस करते हुए कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

9. जहां तक एम.ए.सी.ए. संख्या 0.690/2014 का सवाल है, यह अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई राशि में वृद्धि के लिए दायर किया गया था, जबकि जहां तक एम.ए.सी.ए. संख्या 0.839/2014 का सवाल है, यह बीमा द्वारा दायर किया गया था कंपनी ने फैसले के खिलाफ मुआवज़े की मात्रा को उच्च स्तर पर रखने को चुनौती दी है।

10. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी (M.A.C.A.No0.839/2014) द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और तदनुसार मुआवजे को 24,62.,065/- रुपये से घटाकर 20,00,000/- रुपये कर दिया। -. उनकी अपील में बीमा कंपनी के पक्ष में पारित मुख्य आदेश के परिणामस्वरूप, मुआवजे की मात्रा में वृद्धि की मांग करने वाले अपीलकर्ता-दावेकर्ता (एम.ए.सी.ए. नंबर 690/2014) द्वारा दायर अपील को निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

11. अपीलकर्ता-दावेदार ने उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से दो अपीलें दायर कीं। एक उस आदेश के खिलाफ दायर किया गया है जिसके द्वारा मुआवजे की मात्रा में वृद्धि के लिए दावेदार की अपील को निरर्थक होने के कारण खारिज कर दिया गया था और दूसरा उस आदेश के खिलाफ दायर किया गया है जिसके द्वारा मुआवजे की मात्रा को रुपये से कम करके बीमा कंपनी की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। 24,62,065/- से 20,00,000/- रु.

12. उल्लेखनीय है कि जहां तक बीमा कंपनी का सवाल है, उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। दूसरे शब्दों में, बीमा कंपनी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार 20,00,000 रुपये की मुआवजा राशि से संतुष्ट प्रतीत होती है।

13. संक्षिप्त प्रश्न, जो इन दो अपीलों में विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या बीमा कंपनी की अपील (M.A.C.A. No0.839/2014) को अनुमति देने में उच्च न्यायालय उचित था और इसलिए, मुआवजे की राशि की मात्रा को कम करना उचित था रु.24,62,065/- से

रु.20,00,000/- और, परिणामस्वरूप, मुआवजे की मात्रा बढ़ाने के लिए दावेदार की अपील को निरर्थक बताते हुए खारिज करना उचित था।

14. अपीलकर्ता-दावेदार के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दे पर ध्यान दिए बिना बीमा कंपनी की अपील को स्वीकार कर लिया और मुआवजे को 24 रुपये से कम कर दिया। ट्रिब्यूनल द्वारा 62,065/- से 20,00,000/- रु. का पुरस्कार दिया गया और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता-दावेदार की अपील को गुप्त तरीके से खारिज कर दिया गया।

15. विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने न तो तथ्यों को सामने रखा, न ही किसी मुद्दे से निपटा, न ही नेत्र और दस्तावेजी साक्ष्यों की उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना की, न ही मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांतों की जांच की और न ही ट्रिब्यूनल द्वारा तय किए गए किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, सिवाय इसके कि *"पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करते हुए"* और *"मुझे लगता है कि न्याय के हित में सबसे अच्छी सेवा तब होगी जब 24 रुपये की मुआवजा राशि दी जाए।" 62,065/- को संशोधित कर 20,00,000/- रूपये कर दिया गया है*।

16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह किसी भी पक्ष के मामले पर विचार नहीं था और फिर भी बीमा कंपनी अपनी अपील में सफल रही और अपीलकर्ता-दावेदार हार गया जिससे मुआवजे की मात्रा में कमी के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ।

17. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि एम.वी. की धारा 173 के तहत अपनी प्रथम अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य था। अधिनियम को पार्टियों द्वारा आग्रह किए गए सभी अनुरोधों से निपटना चाहिए और पूरे साक्ष्य की सराहना करने के बाद मुद्दों को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक या दूसरे तरीके से अपने निष्कर्ष पर आना चाहिए कि क्या कोई मामला वृद्धि के लिए बनाया गया था या जैसा भी मामला हो मुआवजे की मात्रा में कमी। यह आग्रह किया गया था कि चूंकि यह उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए एक न्यायिक त्रुटि हुई है जो लागू आदेश को कानूनी रूप से अस्थिर बना देती है।

18. अंत में, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यदि उनकी दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो केवल अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा गुण-दोष के आधार पर दायर अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजना अपरिहार्य है।

19. हालांकि, प्रतिवादियों (बीमा कंपनी) के वकील ने विवादित आदेशों का समर्थन किया और आग्रह किया कि वे किसी भी हस्तक्षेप की मांग न करें।

20. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपीलकर्ता-दावेदार के विद्वान वकील की दलीलों में बल पाते हैं।

21. पहली अपील पर निर्णय लेते समय प्रथम अपीलीय न्यायालय की शक्तियां वास्तव में इस न्यायालय की विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित हैं और इसलिए, अब एकीकृत नहीं हैं।

22. 1969 में, विद्वान न्यायाधीश - वी.आर. कृष्णा अय्यर, (उस समय केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे) ने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद इसे "संहिता™" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 96 के तहत पहली अपील का फैसला करते हुए कुरियन चाको बनाम वर्की ओसेफ, एआईआर 1969 केरल 316, प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रथम अपील पर निर्णय लेने के उसके कर्तव्य की याद दिलायी। अभिव्यक्ति की सूक्ष्म शक्ति के साथ लिखने की अपनी विशिष्ट शैली में, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार कहा:

> **“1. वादी, दो अदालतों में असफल होकर, अपने मुकदमे के खारिज होने से व्यथित होकर यहां आया है, जो स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए था। प्रतिवादी ने संपत्ति पर वादी के स्वामित्व और अपने कब्जे पर विवाद किया और दोनों पर अपना दावा किया। मुकदमे की सुनवाई करने वाले विद्वान ई मुंसिफ ने शीर्षक और कब्जे दोनों पर वादी के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज किए। परंतु, अपील में विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने कुछ ही वाक्यों में पूरे मामले का निपटारा सरलतापूर्वक और संक्षेप में कर दिया**
>
> 2. **एक अपीलीय अदालत आम तौर पर तथ्य की अंतिम अदालत होती है और एफ इसलिए एक वादी अपीलीय चरण में साक्ष्य के पूर्ण और निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार का हकदार है। इससे कम कुछ भी उसके लिए अन्यायपूर्ण है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश एक जी अपीलीय न्यायालय के रूप में उससे जो अपेक्षा की जाती है, उससे बहुत कम है। हालाँकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के वकील के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा है, वे इस टिप्पणी में मुझसे सहमत प्रतीत होते हैं..."**
>
> **(जोर दिया गया)**

23. इस न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया और पहली अपील का निर्णय करते समय संहिता की धारा 96 के तहत अपीलीय न्यायालय की शक्तियां निर्धारित कीं।

24. हम कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उचित समझते हैं।

25. *संतोष हजारी बनाम पुरूषोतम तिवारी (मृतक) में बी.एल.आर.एस.* (2001) 3 एससीसी 179, इस न्यायालय ने (पृष्ठ 188-189 पर) इस प्रकार रखा:

> "**... अपीलीय अदालत के पास ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलटने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है। पहली अपील पार्टियों का एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक पूरा मामला दोनों के सवालों पर दोबारा सुनवाई के लिए खुला है। तथ्य और कानून। इसलिए, अपीलीय अदालत के निर्णय को उसके दिमाग के सचेत अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए और अपीलीय डी के निर्णय के लिए पार्टियों द्वारा दबाए गए और प्रस्तुत किए गए विवादों के साथ उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर कारणों से समर्थित निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना चाहिए। अदालत..... किसी तथ्य के निष्कर्ष को पलटते समय अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क के करीब आना चाहिए और फिर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के कारण बताने चाहिए। इससे अदालत आगे की सुनवाई को संतुष्ट करेगी अपील करें कि प्रथम अपीलीय अदालत ने उससे अपेक्षित कर्तव्य का निर्वहन किया है.....**"

26. उपरोक्त दृष्टिकोण का पालन *मधुकर और अन्य बनाम वी. संग्राम और अन्य*। में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा किया गया था। (2001) 4 एससीसी 756, जिसमें यह दोहराया गया था कि प्रथम अपील की अदालत के रूप में बैठकर, अपने निष्कर्षों को दर्ज करने से पहले सभी मुद्दों और पार्टियों के नेतृत्व वाले सबूतों से निपटना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है।

27. *एच के.एन. में स्वामी बनाम इरशाद बसिथ*, (2005) 10 एससीसी 243, इस न्यायालय ने (पृष्ठ 244 पर) निम्नानुसार कहा: (एससीसी पैरा 3)

> **"3. प्रथम अपील का निर्णय तथ्यों के साथ-साथ कानून के आधार पर भी होना चाहिए। पहली अपील में पार्टियों को कानून के सवालों के साथ-साथ तथ्यों पर भी सुने जाने का अधिकार है और पहली अपीलीय अदालत को सभी मुद्दों पर खुद विचार करना होगा और कारण बताकर मामले का फैसला करना होगा। दुर्भाग्य से, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने तथ्यों या कानून पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। प्रथम अपीलीय**

अदालत के रूप में बैठते हुए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह स्वामित्व के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले सभी मुद्दों और पक्षों के सबूतों से निपटे।

28. फिर से *जगन्नाथ बनाम अरुलप्पा और अन्य*, (2005) 12 एससीसी 303 में, संहिता की धारा 96 के दायरे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने (पृ. 303-04 पर) इस प्रकार देखा: (एससीसी पैरा 2)

"2. प्रथम अपील की अदालत पूरे साक्ष्य की फिर से समीक्षा कर सकती है और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकती है..."

29. फिर से बी.वी. नागेश और अन्य में। बनाम एच.वी. श्रीनिवास मूर्ति, (2010) 13 एससीसी 530, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णयों पर ध्यान देते हुए इन शब्दों के साथ उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया:

"3. अपीलीय अदालत/उच्च न्यायालय द्वारा नियमित प्रथम अपील का निपटारा कैसे किया जाए, इस पर इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में विचार किया है। आदेश 41 सीपीसी मूल डिक्री से अपील से संबंधित है। विभिन्न नियमों के बीच, नियम 31 में कहा गया है कि अपीलीय अदालत के फैसले में कहा जाएगा:

(ए) निर्धारण के लिए बिंदु;

(बी) उस पर निर्णय;

(सी) निर्णय के कारण; और

(डी) जहां अपील की गई डिक्री उलट दी गई है या बदल दी गई है, अपीलकर्ता उस राहत का हकदार है।

5. अपीलीय अदालत के पास ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलटने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है। पहली अपील पार्टियों का एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक कि यह कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो, पूरा मामला तथ्य और कानून दोनों के सवालों पर दोबारा सुनवाई के लिए खुला है। इसलिए, अपीलीय अदालत के निर्णय को उसके दिमाग के सचेत अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए और अपीलीय अदालत के निर्णय के लिए पार्टियों द्वारा दबाए गए और प्रस्तुत किए गए विवादों के साथ उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर कारणों से समर्थित निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रथम अपील की अदालत के रूप में बैठे हुए, उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह अपने निष्कर्षों को दर्ज करने से पहले सभी मुद्दों

और पक्षों के सबूतों से निपटे। पहली अपील एक मूल्यवान अधिकार है और पार्टियों को कानून के प्रश्नों और तथ्यों पर दोनों को सुनने का अधिकार है और पहली अपील में निर्णय को कानून और तथ्य के सभी मुद्दों को संबोधित करना चाहिए और समर्थन में कारण देकर निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्षों का. (संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम तिवारी, (2001) 3 एससीसी 179 पृष्ठ 188, पैरा 15 और मधुकर बनाम संग्राम, (2001) 4 एससीसी 756 पृष्ठ 758, पैरा 5 पर देखें।)

> **5. उपरोक्त हितकारी सिद्धांतों के मद्देनजर, आक्षेपित निर्णय को पढ़ने पर, हमें लगता है कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय अदालत के रूप में उस पर लगाए गए दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है। हमारे विचार में, अपील के तहत निर्णय गूढ़ है और किसी भी प्रासंगिक पहलू पर ध्यान भी नहीं दिया गया है। अपील का निर्णय असंतोषजनक तरीके से किया गया है। नियमित प्रथम अपील में निर्णय के बारे में हमारे सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि यह उन विचारों से कम है जो प्रथम अपील की अदालत से अपेक्षित हैं। तदनुसार, दोनों पक्षों के दावे के गुण-दोष पर गौर किए बिना, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और डिक्री को रद्द कर देते हैं और कानून के अनुसार नए सिरे से निपटान के लिए नियमित प्रथम अपील को उच्च न्यायालय में भेज देते हैं।"**

30. *भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य,*में समान सिद्धांत को दोहराते हुए उपरोक्त मामलों पर इस न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया था। (2011) 12 एससीसी 174 और *उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम ममता और अन्य*/ (2016) 48सीसी 172।

31. एम.वी. की धारा 173 के तहत अपील। अधिनियम अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 96 के समान प्रथम अपील की प्रकृति में है और इसलिए, उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की सराहना करने के बाद तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए समान रूप से कानूनी दायित्व के तहत है। [*नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरेश कुमार एवं अन्य देखें*। ((2000) 10 एससीसी 198 और *पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम नवदीप कौर एवं अन्य* (2004) 13 एससीसी 680]।

32. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह संहिता के आदेश XL.I नियम 31 के साथ पढ़े गए आदेश XX नियम 4 (2) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपीलों का निर्णय करता। आवश्यक है कि निर्णय/आदेश में मामले का संक्षिप्त विवरण, निर्धारण के बिंदु, उस पर निर्णय और कारण शामिल हों।

33. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, हम उच्च न्यायालय के आदेश को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

> **"पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करते हुए और दिए गए मुआवज़े की राशि की मात्रा और जिस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि न्याय का हित सबसे अच्छा तभी होगा जब मुआवज़े की राशि दी जाए।" रु.24,62,065/- को संशोधित कर रु.20,00,000/- कर दिया गया है जो दावेदार को दिए गए ब्याज के साथ देय है। विवादित पुरस्कार को उक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।**
>
> **अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को संशोधित मुआवजा राशि रु. 20,00,000/- ब्याज सहित छह सप्ताह के भीतर विद्वान न्यायाधिकरण के पास जमा करने का निर्देश दिया जाता है। राशि जमा करने पर, आक्षेपित पुरस्कार में दिए गए विद्वान न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार, दावेदार को आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा।**

34. उच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत आदेश के अवलोकन मात्र से यह पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने न तो पक्षकारों के मामले के तथ्यों को विस्तार से बताया, न ही आग्रह किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण पर उनका उल्लेख करने के अलावा निपटाया, न ही उस पर ध्यान दिया। दावेदार द्वारा उठाए गए आधारों के बारे में और न ही मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांतों के आलोक में साक्ष्य की सराहना करने का कोई प्रयास किया और बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति देने के लिए आगे बढ़े और मुआवजे को रुपये से कम कर दिया। 24,62,065/- से 20,00,000/- रु.

35. उच्च न्यायालय ने केवल "*पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करते हुए" कहा और "मुझे लगता है कि मुआवजा 20,00,000/- रुपये दिया जाना चाहिए था, न कि 24,62,065/- रुपये।*" कोई कारण नहीं उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था कि मुआवजे की राशि को 24,62,065/- रुपये से घटाकर 20,00,000/- रुपये क्यों किया जाना चाहिए और इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। चूंकि अपीलकर्ता-दावेदार ने भी वृद्धि के लिए अपील दायर की थी मुआवज़े के मामले में, दावेदार और बीमा कंपनी के कहने पर पूरा विवाद फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए खुला था। इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए मुआवज़े और/या इसकी वृद्धि को मंजूरी न देने के कारणों को बताना आवश्यक था। कमी। किसी भी कारण के अभाव में, हम उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं।

36. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील करने के लिए कोई विशेष अनुमति दायर करने का

विकल्प नहीं चुना। अपील दाखिल न करने का असर यह हुआ कि बीमा कंपनी ने सैद्धांतिक रूप से उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है।

37. इस न्यायालय ने दावेदार की अपील की अनुमति दे दी है और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया है, इसके परिणामस्वरूप बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है (M.A.C.A. No0.839 of 2014) और अपील की अनुमति दी गई है (M.A.C.A. No0.690/2014) दायर की गई है दावेदार द्वारा. क्या बीमा कंपनी ने इस अदालत में आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दायर की थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे में और कमी की मांग की गई थी, जैसा कि बीमा कंपनी ने तब किया था जब उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जिसमें मुआवजे की मात्रा पर सवाल उठाया गया था। उच्चतर पक्ष पर, बीमा कंपनी भी इस आदेश के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष रिमांड के बाद योग्यता के आधार पर उनकी अपील पर मुकदमा चलाने की हकदार होगी। हालाँकि, बीमा कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

38. मामले के इस दृष्टिकोण में, अकेले अपीलकर्ता-दावेदार को इस न्यायालय द्वारा मामले की रिमांड के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर अपनी अपील (2014 का एम.ए.सी.ए. नंबर 690) पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा, जिसमें उच्च न्यायालय जांच करेगा प्रश्न यह है कि क्या ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा में और वृद्धि का कोई मामला बनता है या नहीं और यदि हां, तो किस आधार पर।

39. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम केवल अपीलकर्ता-दावेदार की अपील (2014 का एम.ए.सी.ए. नं. 690) को इस सवाल पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेजते हैं कि क्या 24,62,065 रुपये से आगे की वृद्धि के लिए कोई मामला बनता है। /- ट्रिब्यूनल द्वारा फैसला सुनाया गया और यदि हां, तो किस आधार पर। कहने की जरूरत नहीं है कि बीमा कंपनी को गुण-दोष के आधार पर अपीलकर्ता-दावेदार की अपील का विरोध करने का अधिकार होगा।

40. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले में शामिल मुद्दों की खूबियों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है और मामले को उच्च न्यायालय में भेजने की राय बनाई है और इसलिए उच्च न्यायालय एम.ए.सी.ए. का निर्णय करेगा। क्रमांक 690/2014 पूरी तरह से हमारे किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार है। हम उच्च न्यायालय से छह महीने के भीतर अपील पर निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं।

41. इस प्रकार अपीलें सफल होती हैं और तदनुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। विवादित आदेश निरस्त किये जाते हैं। कोई लागत नहीं.

अंकित ज्ञान अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।